बिहार शिक्षा परियोजना
शिक्षा भवन, करमगंज,
दरभंगा–846001

Bihar Education Project
Shiksha Bhawan, Karamganj,
Darbhanga-846001

पत्रांक 1714

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान,
बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा।

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,
शारदा शिक्षण संस्थान उजान,मनीगाछी

दरभंगा, दिनांक 26/12/ 2020 ई0 ।

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा–18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अंतर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का पुर्ननिबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन–पत्र एवं विद्यालय निरीक्षण प्रपत्र के आधार पर दिनांक 16.12.2020 को प्रस्वीकृति समिति के बैठक में निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय शारदा शिक्षण संस्थान उजान,मनीगाछी को कक्षा–1 से कक्षा–8 तक आर0टी0ई0 मानक के अनुरुप संचालन हेतु पत्र निर्गत तिथि से तीन वर्षो के लिए औपबंधिक पुर्ननिबंधन प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन् होगी :–

1. प्रस्वीकृति नियमानुसार कक्षा–8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता के 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह (बी0पी0एल0) के बच्चों का करेगें तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा वर्ग–08 तक नियमानुसार प्रदान करेगें, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा। अलाभकारी समूह के बच्चे से अभिप्राय है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक बच्चें एवं कमजोर वर्ग के बच्चें अर्थात् सामान्य समूह के बच्चे (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक को छोड़कर), जिनके माता–पिता की वार्षिक आय 2 लाख रू0 से कम है।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. निमानुसार विद्यालय के द्वारा 25 प्रतिशत् नामांकित बी0पी0एल0 के बच्चों से किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस प्राप्त नहीं किया जायेगा और न ही इन बी0पी0एल0 बच्चों, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जायेगा।

6. विद्यालय बच्चे के नामांकन के समय उसके उम्र प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता, धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे :–
   - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा (वर्ग 01–08) पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
   - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
   - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चें को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।
   - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी 'शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 03 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
   - (vii) सभी शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   - (viii) शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मापदंड के अनुसार विद्यालय में निम्न सुविधाओं का रहना अनिवार्य है :–
    - विद्यालय का अपना परिसर
    - वर्गकक्षों की संख्या : 30 छात्र पर एक वर्ग कक्ष
    - प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष
    - बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय
    - पेयजल की सुविधा
    - बाधारहित पहुंच
    - शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल–कूद सामग्री/पुस्तकालय
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
13. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
14. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजी जायेगी।
15. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या **113/14** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाय।
16. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय पर मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनायें, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
17. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।
18. यह प्रस्वीकृति अस्थायी है। तीन वर्ष के अंदर आपके द्वारा अधिनियम की शर्तों को पूरा नही किया जाता है तो प्रस्वीकृति का नवीकरण नही किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

26/12/2020

(संजय कुमार देव "कन्हैया")
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान,
बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा।

26/12/20